प्रेस नोट, जालौन पुलिस

दिनांक- 23.02.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना नदीगांव पुलिस द्वारा थाना नदीगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2026 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2) बीएनएस में में वांछित/फरार चल रहे 25,000-25,000/- रूपये के 02 इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2026 को वादिनी श्रीमती रामवती द्वारा थाना नदीगांव पर तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पुत्र राघवेन्द्र का अपहरण कर हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में जिसके संबन्ध में थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 21/2026 धारा 140(1)//103(1)/238/61(2) बीएनएस बनाम कृष्णपाल उर्फ कुलदीप पुत्र घनश्याम उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सराय थाना पूंछ जिला झांसी आदि 08 नफर विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मृतक के शव के पंचायतनामा व भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही फील्ड यूनिट टीम म0प्र0 पुलिस द्वारा की गयी थी।

घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन द्वारा 03 टीमों का गठन किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 72 घण्टे के अन्दर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 07.02.2026 को थाना नदीगांव पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना में संलिप्त 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी। विवेचना के क्रम में इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज आदि के संकलन से 02 अन्य अभियुक्तगण 1. वाहिद पुत्र नवाशे शाह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी किराये की झुग्गी जे3/17 झुग्गी झोपडी कालोनी जेथण वजीरपुर थाना भारतनगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली व मूल निवासी ग्राम सिरासुल पट्टी सीताराम थाना बिल्सी जिला बदांयू 2. प्रेम पुत्र स्व0 हेमराज उम्र करीब 19 वर्ष निवासी N-19A/94 झुग्गी झोपडी कालोनी वजीरपुर थाना भारतनगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की संलिप्तता पायी गयी थी, जो कि तत्समय से फरार चल रहे थे। अभियुक्तगण वाहिद व प्रेम उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोंनो अभियुक्तोयं पर 25,000-25,000/- हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

दिनांक 22.02.2026 को क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित व 25,000-25,000/- हजार रुपये के इनामिया अभियुक्तगण 1. वाहिद 2. प्रेम को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के नाम व पता –

1. वाहिद पुत्र नवाशे शाह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी किराये की झुग्गी जे3/17 झुग्गी झोपडी कालोनी जेथण वजीरपुर थाना भारतनगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली व मूल निवासी ग्राम सिरासुल पट्टी सीताराम थाना बिल्सी जिला बदांयू
2. प्रेम पुत्र स्व0 हेमराज उम्र 19 वर्ष नि0 N-19A/94 झुग्गी झोपडी कालोनी वजीरपुर थाना भारतनगर उ0प0 दिल्ली

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों/थानो से की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरण –

प्रभारी निरीक्षक थाना नदीगांव मय पुलिस टीम।